न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 117/2023

प्रार्थीगण :–

1. जवरीलाल पुत्र सुरताराम
2. मादाराम पुत्र सुरताराम
3. पुरो पत्नी सुरताराम
4. पेपो पत्नी मांगीलाल
5. बालाराम पुत्र लाभूराम
6. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
7. मांगी पत्नी धोकलाराम
8. मोडाराम पुत्र मांगीलाल
9. राणाराम पुत्र मांगीलाल
10. राणी पत्नी देराज
11. रामाराम पुत्र लाभूराम
12. लाधाराम पुत्र धोकलराम
13. विश्नाराम पुत्र मांगीलाल
14. सवाईराम पुत्र मांगीलाल
15. चैनाराम पुत्र लाभूराम
16. नारायणराम पुत्र धोकलराम सभी जातियान जाट सभी निवासियान जास्ती तह0 कल्याणपुर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र देवाराम
2. डोली बनाम मंदिर श्री विष्णु भगवान जरिये पुजारी
3. उरजाराम पुत्र भीखाराम
4. मांगाराम पुत्र भीखाराम
5. ओमाराम पुत्र सुखाराम
6. बुधाराम पुत्र सुखाराम
7. लक्षमणराम पुत्र सुखाराम
8. मीरो पत्नी सुखाराम
9. हनुमान पुत्र भंवरलाल
10. सुरेश पुत्र भंवरलाल
11. द्रोपदी पत्नी भंवरलाल
12. अखाराम पुत्र रूघनाथराम
13. धोकलराम पुत्र मेराजराम
14. सताराम पुत्र देवाराम
15. रामाराम पुत्र कानाराम
16. भलाराम पुत्र लूम्बाराम सभी जातियान जाट, निवासीयान जास्ती तहसील कल्याणपुर
17. भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :—

1. श्री अचलाराम थोरी , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 17 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :— 26.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम जास्ती, पटवार हल्का गंगावास भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली, तहसील कल्याणपुर मे खसरा सख्या 392/241 रकबा 7.1386 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/158 रकबा 1.2950 हैक्टेयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम जास्ती, पटवार हल्का गंगावास भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली, तहसील कल्याणपुर मे खसरा सख्या 392/241 रकबा 7.1386 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/158 रकबा 1.2950 है[illegible] हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा [illegible] भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, [illegible] भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी [illegible] खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:47 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ग्राम जास्ती, पटवार हल्का गंगावास भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली, तहसील कल्याणपुर मे खसरा सख्या 392/241 रकबा 7.1386 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/158 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि ग्राम जास्ती, पटवार हल्का गंगावास भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली, तहसील कल्याणपुर मे खसरा सख्या 392/241 रकबा 7.1386 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/158 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रंजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जास्ती, पटवार हल्का गंगावास भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली, तहसील कल्याणपुर मे खसरा सख्या 392/241 रकबा 7.1386 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/158 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:47 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 26.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा